

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सचिवदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

7
7

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय,
नाथनगर, भागलपुर।

पटना, दिनांक -

विषय :- शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 101 आयुर्वेद-0005 आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर विपत्र कोड- 20-2210051010005 मांग संख्या-20 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल- 76,20,000/- (छेहत्तर लाख बीस हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 76,20,000/- (छेहत्तर लाख बीस हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश से वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक 31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- 101 आयुर्वेद-0005 आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर कोड- 20-2210051010005 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, नाथनगर, भागलपुर तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

11. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

13. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०-

49 व' आ. चि.

/पटना, दिनांक - 19.03.2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी, भागलपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

41

0005 आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01-01	2038000	3582000	5620000	2038000	3582000	5620000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01-03	2670000	3528000	6198000	2670000	3528000	6198000	0
3	मकान किराया भत्ता	01-04	204000	478000	682000	204000	478000	682000	0
4	परिवहन भत्ता	01-05	0	16000	16000	0	16000	16000	0
4	चिकित्सा भत्ता	01-06	22000	16000	38000	22000	16000	38000	0
5	अन्य भत्ता	01-07	3000		3000	3000		3000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		4937000	7620000	12557000	4937000	7620000	12557000	0
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06-01	50000	0	50000	50000	0	50000	0
7	यात्रा व्यय	11-01	100000	0	100000	100000	0	100000	0
8	कार्यालय व्यय	13-01	400000	0	400000	400000	0	400000	0
9	दूरभाष	13-03	50000	0	50000	50000	0	50000	0
10	विद्युत प्रभार	13-04	200000	0	200000	200000	0	200000	0
11	विधि प्रभार	13-05	50000	0	50000	50000	0	50000	0
12	वर्दी पोशाक	13-06	9000	0	9000	9000	0	9000	0
13	किराया म0 एवं कर	14-01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
14	कांफेस, कार्यशाला, सेमिनार	20-02	0	0	0	0	0	0	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20-03	0	0	0	0	0	0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21-01	400000	0	400000	400000	0	400000	0
17	दवा भंडार	21-02	800000	0	800000	800000	0	800000	0
18	सविदा सेवायें	28 02	400000	0	400000	400000	0	400000	0
19	मशीन एवं उपस्कर	52-01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
	योग		7796000	7620000	15416000	7796000	7620000	15416000	0

(छहत्तर लाख बीस हजार) रु० मात्र

49 व आ. वि.
19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव
०५